राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2018/ दिनांकः

स्नातक/स्नातकोत्तर (स्वयंपाठी/नियमित/पूर्वछात्र)
परीक्षा–2018 के ऑफ लाईन परीक्षा फार्म भरवाने हेतु
आवश्यक सूचना

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20.01.2018 की अनुपालना में सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि स्नातक/स्नातकोत्तर (स्वयंपाठी/नियमित/पूर्वछात्र) परीक्षा–2018 में प्रविष्ठ होने वाले परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित ऐसे परीक्षार्थी पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2018/8425 दिनांक 07.11.2017 द्वारा सूचित शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क सहित ऑफ लाईन परीक्षा फार्म दिनांक 22.01.2018 से 30.01.2018 तक भर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय परीक्षा विविध शाखा से सशुल्क प्राप्त करें। नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थी पूर्णरूप से भरे हुये परीक्षा फॉर्म को सम्बन्धित महाविद्यालय से अग्रेषित करवाकर एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करवाकर मय पूर्व में उत्तीर्ण सभी अंकतालिकाऐं, आवश्यक दस्तावेज एवं कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय परीक्षा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट के साथ रिकार्ड अनुभाग (कमरा नं. 205 प्रथमतल), राजस्थान विश्वविद्यालय में 30.01.2018 तिथि तक जमा करायें।

सामान्य निर्देश

1. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा फार्म में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है।
2. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें।
3. परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मो को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः निर्धारित समय में ही परीक्षा फार्म जमा करायें।
4. स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर भूगोल परीक्षा में जो स्वयंपाठी परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय का चयन करें। उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। अन्यथा वे प्रायोगिक विषय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें।
5. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट–प्रथम नियमित एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों एवं आवांटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों के परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करें। अन्यथा ऐसे परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिये जायेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय की होगी।

Sd/-
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2018/ 1050-65 दिनांकः 20/01/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. समस्त प्राचार्य, संघठक/सम्बद्ध महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जयपुर एवं दौसा सहित सातों जिलों (अलवर, भरतपुर, सीकर, झुन्झुनू एवं धौलपुर) में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों में प्रेस नोट के रूप में एक बार प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
5. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक –द्वितीय/सेलर–।, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निदेशक, छात्र सलाहकार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. समस्त अनुभागाधिकारी, परीक्षा संचालन शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्मो की जॉच कर विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित शुल्क से अवगत करायें।
9. अनुभागाधिकारी, नामांकन शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निजी महाविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट/विषय आदि की जॉच करने के पश्चात् ही स्नातक पार्ट–प्रथम के परीक्षा फॉर्मो को स्वीकार करें।
10. छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

उप कुलसचिव (परीक्षा)